मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 15–05–2017 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1– श्री सी0एस0 नपलच्याल, सचिव एवं आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड।
2– श्री हरिचन्द्र सेमवाल, अपर सचिव, परिवहन एवं आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री एल0एन0 पन्त, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4– श्री पूरन सिंह रावत, अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– श्री एस0एस0टोलिया, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– श्री पी0सी0 जोशी, उप सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– श्री राजेश कुमार, अनु सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– श्री आर0एस0 मीना, अपर महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय।
9– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
10– श्रीमती निवेदिता कुकरेती, पुलिस अधीक्षक, सड़क सुरक्षा, मुख्यालय।
11– श्री एस0के0 सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
12– श्री सुधांशु गर्ग, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
13– श्री संजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, परिवहन विभाग।
14– श्री अरविन्द पाण्डेय, सहायक संभागीय अधिकारी, देहरादून।
15– श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा परिवहन, उत्तराखड।
16– श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा परिवहन, उत्तराखड।
17– श्री आर0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
18– श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
19– श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
20– श्री एम0पी0एस0रावत, अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
21– श्री आर0के0कलवार, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
22– श्री वी0एस0 रावत, अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून।
23– श्रीमती एम0बी0 रावत, उप निदेशक, शिक्षा विभाग, देहरादून।
24– डॉ0 तृप्ति बहुगुणा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून।
25– श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
26– श्री नन्द राम, अनुभाग अधिकारी, परिवहन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
27– डॉ0 अशोक कुमार मिश्रा, समीक्षा अधिकारी, परिवहन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए सचिव, परिवहन द्वारा मा0 परिवहन मंत्री जी के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2012 से 2016 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 के प्रथम त्रैमास में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं में से 77.50 प्रतिशत दुर्घटनाएं केवल 04 जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर) में ही घटित हो रही हैं और दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों की संख्या भी इन्ही

04 जनपदों में सर्वाधिक है। अतः यदि उक्त 04 जनपदों में दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया जाए तो सम्पूर्ण राज्य में दुर्घटनाओं की संख्या में 20–25 प्रतिशत तक कमी लायी जा सकती है।

2– मा0 परिवहन मंत्री जी को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त समिति द्वारा समय–समय पर राज्य में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। इसी क्रम में मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27–02–2017 को यह निर्देश दिए गए हैं कि समिति के निर्देशों को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए और उक्त निर्देशों पर परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से समिति को अवगत कराया जाए। अतः बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

3– बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गएः–

(1) राज्य में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं का जनपदवार डाटा प्रत्येक माह लीड एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाए और लीड एजेन्सी स्तर पर उसका विश्लेषण करते हुए भविष्य हेतु कार्य योजना बनाई जाए। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं का त्रैमासिक विवरण मा0 समिति को प्रेषित किया जाए।

(2) वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर 65 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसकी सूचना लोक निर्माण विभाग एवं एन0एच0ए0आई0 को प्रेषित कर दी गई है। अतः सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

(3) मा0 समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विगत 3–4 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण पुलिस विभाग द्वारा यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए मा0 समिति को आख्या प्रेषित की जाए।

(4) वर्ष 2009 से 2015 तक सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में समिति द्वारा इंगित विसंगतियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए और भविष्य में पुलिस विभाग द्वारा दुर्घटनाओं के डाटा संकलन/प्रेषण में विशेष सावधानी बरती जाए।

(5) मा0 समिति द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष कम से कम 02 बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और परिषद की बैठकों में लिए गए निर्णय तथा उन पर कृत कार्यवाही की आख्या भी समिति को प्रेषित की जाए।

(6) राज्य में सड़क सुरक्षा कोष के गठन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो गई है तथा उक्त प्रस्ताव मा0

मंत्रिमण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। अतः निर्देश दिए गए कि प्रस्ताव को आगामी मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(7) यद्यपि परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी का गठन कर दिया गया है परन्तु उक्त लीड एजेन्सी को कार्यशील बनाए जाने एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही करने, भारत सरकार, सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) एवं राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त लीड एजेन्सी को स्थायी बनाया जाना आवश्यक है। अतः निर्देश दिए गए कि परिवहन आयुक्त संगठन में सृजित सहायक निदेशक के 02 निसंवर्गीय पदों को स्थायी करते हुए लीड एजेन्सी में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, शहरी विकास आदि विभागों के लिए परिवहन आयुक्त संगठन में ही पदों का सृजन किया जाए और उन पर सम्बन्धित विभागों से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएं। यह भी निर्देश दिए गए कि लीड एजेन्सी के कार्यों के संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में मिनिस्ट्रियल पदों का सृजन भी किया जाए। इस हेतु प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जाए।

(8) यह भी निर्देश दिए गए कि जब तक लीड एजेन्सी के ढांचे का पुनर्गठन नहीं हो जाता है तब तक पुलिस विभाग द्वारा एक पुलिस उप अधीक्षक/सीओ स्तर के अधिकारी की पूर्णकालिक तैनाती लीड एजेन्सी में कर दी जाए। इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग एवं शहरी विकास विभाग द्वारा भी एक–एक अधिकारी की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर की जाए। इसके अतिरिक्त लीड एजेन्सी में तैनात अधिकारियों की सहायता हेतु अग्रिम व्यवस्था होने तक लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा एक–एक सहायक की तैनाती भी कर दी जाए ताकि लीड एजेन्सी का कार्य प्रभावी ढंग से सम्पन्न किया जा सके।

(9) परिषद को अवगत कराया गया कि वर्तमान में लीड एजेन्सी में तैनात अधिकारियों को स्थल निरीक्षण एवं अन्य कार्य से कार्यालय से बाहर जाना पड़ता है परन्तु लीड एजेन्सी में कोई वाहन उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः निर्देश दिए गए कि लीड एजेन्सी हेतु वाहन की मॉग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए और तद्नुसार वाहन की व्यवस्था की जाए।

(10) ब्लैक स्पॉट के सम्बन्ध में प्रोटोकॉल बनाए जाने हेतु निर्देश दिए गए कि लीड एजेन्सी द्वारा सभी सड़क निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक प्राथमिकता के आधार पर करते हुए प्रोटोकॉल को अन्तिम रूप प्रदान किया जाए।

(11) लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 समिति द्वारा रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के सभी कार्यों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाना अनिवार्य है परन्तु विभाग में कोई रोड सेफ्टी ऑडिटर न होने के कारण कठिनाई हो रही है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में ए0डी0बी0 के कार्यों हेतु नामित रोड सेफ्टी ऑडिटर से अन्य कार्यों में भी परामर्श लिया जा रहा है परन्तु स्थायी ऑडिटर उपलब्ध न होने के कारण भविष्य में यह समस्या बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि रोड सेफ्टी ऑडिटर की कमी के सम्बन्ध में

समिति एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अवगत कराया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि चूंकि लीड एजेन्सी द्वारा ब्लैक स्पॉट के निरीक्षण में रोड़ सेफ्टी ऑडिटर भी सम्मिलित किया गया है, इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाना है, अतः लीड एजेन्सी में ही एक रोड सेफ्टी ऑडिटर को तैनात/इम्पैनल कर लिया जाए।

(12) मा0 समिति के निर्देश दिनांक 18–08–2015 एवं 17–11–2016 के क्रम में यद्यपि राज्य में विगत 06 माह में कार्यवाही की गई है परन्तु उक्त कार्यवाही अपेक्षित स्तर की नहीं है, अतः निर्देश दिए गए कि ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, रेड लाईट जम्पिंग, चलती वाहन में चालक द्वारा मोबाईल का प्रयोग आदि अभियोगों में कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित चालक के लाईसेन्स के विरूद्ध निरस्तीकरण/अनहरिकरण (Disqualification) की कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त सीट बैल्ट एवं हैल्मेट सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालानों के प्रशमन से पूर्व सम्बन्धित चालक को 02 घण्टे की काउन्सलिंग अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। इस हेतु आईडीटीआर, झाझरा को अधिकृत करने की कार्यवाही की जाए।

(13) मा0 समिति के निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा 11 ऐसे ब्लैक स्पॉट का स्थल निरीक्षण किया गया, जहॉ लोक निर्माण विभाग द्वारा सुधारीकरण की कार्यवाही की गई थी। लीड एजेन्सी द्वारा उक्त कार्यों में इंगित त्रुटियों के सुधारीकरण के सम्बन्ध में आख्या तत्काल प्रस्तुत करते हुए समिति को भी प्रेषित की जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों पर गतिसीमा सम्बन्धी सूचना बोर्ड भी स्थापित किए जाएं।

(14) लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास विभाग द्वारा राजमार्गों एवं सड़कों के किनारे लगे ऐसे होर्डिंग/ऑब्जेक्ट, जो वाहन चलाने में बांधा उत्पन्न करते हैं, का प्रत्येक 06 माह में एक बार सर्वे किया जाए और ऐसे होर्डिंग/ऑब्जेक्ट को हटाने की कार्यवाही करते हुए आख्या परिषद की आगामी बैठक एवं समिति को प्रेषित की जाए। इसके अतिरिक्त शहरी विकास विभाग द्वारा सभी स्थानीय निकायों की सूचना प्राथमिकता के आधार पर समिति को प्रेषित की जाए।

(15) लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 समिति के निर्देशों के अनुपालन में लैंड प्लान तैयार करने हेतु लगभग रूपये 8.00 करोड़ के बजट की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बजट मॉग का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(16) मा0 समिति के निर्देशों के अनुपालन में आगामी वर्षों में दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभागों से कार्य योजना का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि लीड एजेन्सी स्तर पर विभागवार बैठक आयोजित करते हुए

कार्ययोजना का प्रारूप तैयार किया जाए, जिसमें आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों, समय सीमा, बजट की उपलब्धता का भी विवरण अंकित हो। उक्त कार्य योजना को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(17) सिनेमाघरों में प्रत्येक शो से पहले सड़क सुरक्षा सम्बन्धी लघु फिल्म के प्रदर्शन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्देश दिए गए थे कि मनोरंजनकर विभाग द्वारा सिनेमाघरों के लाईसेन्स में इस आशय की शर्त जोड़ी जाएगी। उक्त के क्रम में मनोरंजन कर विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त सचिव/परिवहन आयुक्त स्तर से सभी जिलाधिकारियों को पुनः निर्देश प्रेषित किए जाएं।

(18) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से शराब की दुकानों को हटाए जाने के सम्बन्ध में आबकारी विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाए।

(19) सभी परिवहन कार्यालयों में 'सारथी 4.0' लागू किए जाने हेतु बैण्डविड्थ बढ़ाए जाने की कार्यवाही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/आईटीडीए द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि मा0 समिति के निर्देशों से अवगत कराते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/आईटीडीए को परिवहन कार्यालयों में अपेक्षित बैंडविड्थ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाए। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक बैठक भी आहूत कर ली जाए।

(20) मा0 समिति द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की कमी लाए जाने की अपेक्षा की गई है। इस हेतु जिला स्तर पर गठित जिला सड़क सुरक्षा समितियों की प्रत्येक माह बैठक आहूत किए जाने और जनपद में घटित होने वाली दुर्घटनाओं के आधार पर सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1818/प्रवर्तन/1–8/2017 दिनांक 26–04–2017 के अन्तर्गत सभी जिलाधिकारियों को मासिक बैठक आहूत करने के निर्देश के साथ बैठक का एजेण्डा भी प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि जिला सड़क सुरक्षा समितियों की प्रत्येक माह बैठक आहूत करते हुए अनुपालन आख्या लीड एजेन्सी को प्रेषित की जाए। लीड एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।

(21) किसी वाहन के दुर्घटना होने पर यदि वाहन का बीमा वैध नहीं होता है, तो ऐसे वाहन स्वामी अथवा प्रभावित अन्य व्यक्ति को ईलाज तक के लिये कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है और ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः सभी वाहनों को कम से कम थर्ड पार्टी बीमा से आच्छादित कराया जाना अपरिहार्य ही नहीं अपितु नियमों के भी अनुकूल है। इस सम्बन्ध में समिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और बिना वैध बीमा के वाहनों को तब तक रोका जाए जब तक कि सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा वाहन का वैध बीमा प्रस्तुत न कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि समिति के निर्देशों के अनुपालन में आईआरडीए एवं वाहन 4.0 के डाटा इन्टीग्रेशन के सम्बन्ध में एनआईसी से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाए।

(22) परिवहन कार्यालयों में चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा हेतु 10 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना का निर्णय पूर्व बैठक में लिया गया है। अवगत कराया गया कि उक्त के क्रम में हरिद्वार में भूमि उपलब्ध हो गई है। अतः निर्देश दिए गए कि हरिद्वार में ट्रैक निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाए। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए।

(23) Good Samaritan सम्बन्धी नियमों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इस सम्बन्ध में सभी परिवहन कार्यालयों, पुलिस थानों/चौकियों एवं अस्पतालों में सूचना पट्ट लगाए जाएं ताकि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने में किसी आम नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े।

(24) विगत बैठक में राज्य में बढ़ती वाहनों की संख्या एवं तकनिकी कार्य के दबाव के दृष्टिगत संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों में वृद्धि के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा 21 पदों के समान वेतनमान में प्रत्यावर्तन एवं 08 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि समान वेतनमान में पदो के प्रत्यावर्तन में कोई वित्तीय स्थिति निहित नहीं है, अतः उक्त पर सहमति प्रदान करने में कदाचित कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। अतः निर्देश दिए गए कि उक्त पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करते हुए पदों के सृजन/प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाए।

(25) परिषद को अवगत कराया गया कि राज्य गठन के समय राज्य में प्रत्येक 50 हजार वाहनों पर 01 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) का पद सृजित था परन्तु राज्य गठन के उपरान्त वाहनों की संख्या में लगभग 07 गुणा की वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों में भी सार्वजनिक परिवहन के स्थान पर निजी वाहनों में यात्रा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके कारण राज्य में उपलब्ध वाहनों की तुलना में लगभग 03 गुणा वाहनें प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से राज्य में आती हैं। उक्त बढ़ती वाहनों की तुलना में परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, जिससे प्रवर्तन कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है। अतः मा0 मंत्री जी से अनुरोध किया गया कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों के पदों का सृजन तहसील/ब्लॉक स्तर पर किया जाना उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि प्रवर्तन अधिकारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(26) विगत बैठक में मोटर बाईक एम्बुलेन्स की स्थापना के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए गए थे परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः पुनः निर्देश दिए गए कि पायलेट परियोजना के रूप में पुलिस/चिकित्सा विभाग द्वारा देहरादून में 02 मोटर बाईक एम्बुलेन्स की स्थापना कर ली जाए और उसके अनुभवों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित मोटर एम्बुलेन्स की

विशिष्टताओं के निर्धारण एवं पंजीयन से पूर्व एम्बुलेन्स का निरीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चिकित्सा विभाग द्वारा सहमति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाए ताकि बीमार/घायल व्यक्ति को राज्य में अपेक्षित स्तर की एम्बुलेन्स/चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके।

(27) विगत बैठक में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में भी परिवहन विभाग द्वारा मोबाईल वैन का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे परन्तु बजट के अभाव में उक्त कार्य नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि मोबाईल वैन क्रय हेतु बजट का प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाए।

(28) परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मोटरयान कानूनों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को थाने में सीज करने की स्थिति में प्रवर्तन अधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बकाया राजस्व, अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि यदि प्रत्येक जनपद में परिवहन थाना स्थापित किया जाए, जहॉ वाहनों को बन्द किया जा सके, तो इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह परामर्श दिया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वाहनों को बन्द करने में आसानी होगी। अतः निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जनपद में भूमि की उपलब्धता एवं उक्त स्थल पर अपेक्षित कार्मिकों की आवश्यकता आदि का आंकलन करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(29) चकराता/त्यूनी क्षेत्र में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वाहनों के संचालन में वृद्धि की जाए, तकि क्षेत्र में वाहनों में ओवर लोडिंग की समस्या समाप्त हो सके। इस हेतु क्षेत्र में उत्तराखण्ड परिवहन निगम का एक मिनी डिपो स्थापित करने के भी निर्देश दिये गये है।

(30) राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं वाहनों में लोड फैक्टर की कमी के दृष्टिगत यूटीलिटी वाहनों, जिनमें 5–6 यात्रियों के बैठने का स्थान एवं पिछली ओर सामान रखने का स्थान होता है, को ठेका वाहन परमिट जारी किये जा रहे हैं। ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय यूटिलिटी वाहन स्वामियों/चालकों द्वारा अपनी वाहन की छत पर लगेज कैरियर एवं पिछले भाग में भी अनाधिकृत रूप से होल्डिंग रॉड्स, सीढी आदि लगा ली गयी है, जो मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत है। अतः निर्देश दिये गये कि वाहनों की फिटनेस करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन न हो तथा वाहनों में अनधिकृत रूप से लगाये गये कैरियर, छत, सीढी, होल्डिंग रॉड्स आदि को हटवाने के उपरान्त ही फिटनेस प्रमाणपत्र निर्गत किये जाएं। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान भी उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

4— उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सभी संभव उपाय करने, अति आवश्यक कार्य हेतु बजट की व्यवस्था करने और सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करते हुए आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(सी0एस0नपलच्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग—1,
संख्या— 475/ix—1/2017
देहरादून, दिनांक 15, मई 2017

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3— प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग/आबकारी विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/वित्त विभाग।
4— पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6— आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9— महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
10— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
11— प्रबन्ध निदैशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
12— निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
13— रीजनल ऑफिसर, एनएचएआई, उत्तराखण्ड रीजन।
14— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सी0एस0नपलच्याल)
सचिव।